न्यायालय जिला कलक्टर, बीकानेर
बइजलास कुमार पाल गौतम आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर

मुकदमा संख्या 05/19 विविध

एयु स्मॉल फाईनेस बैंक लिमिटेंड, एस.आर. कॉम्पलेक्स, रेल्वे ओवरब्रिज के पास, रानी बाजार, बीकानेर जरिये अधिकृत अधिकारी

–प्रार्थी

: ब ना म :

1. श्री जाकिर हुसैन पुत्र श्री उमर मोहम्मद निवासी मदीना मस्जिद के पास, सिटी कोतवाली, बीकानेर
2. श्रीमती रहमत बानो पत्नी श्री मोहम्मद उमर निवासी मकान नम्बर 131 मदीना मस्जिद के पास, सिटी कोतवाली, बीकानेर
3. श्री चांद मोहम्मद पुत्र श्री मोहम्मद उमर निवासी 588 के मोहल्ला नायकान वार्ड नं. 10 पावू मंदिर के पास, बीकानेर
4. शोयब पुत्र श्री मोहम्मद उमर निवासी वार्ड नं. 12 सिटी कोतवाली के पास, बीकानेर
5. अहमद अली पुत्र श्री गुलाम रसूल निवासी मकान नं. 163 लोहारो का मोहल्ला, बीकानेर

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल एसेटस एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटि इन्टरस्ट एक्ट,2002

उपस्थितिः–

1 प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री वीर विक्रम व्यास उपस्थित।

2. अप्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री सुनील चौधरी उपस्थित ।

: संशोधित आदेश :

दिनांक 22.05.2019

इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 13.05.19 के पैरा सं. 2, 3 व 4 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :–

2. प्रार्थी **बैंक** के इस प्रार्थना–पत्र पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जा कर प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धान्तों की पालना में अप्रार्थीपक्ष को तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. **प्रार्थी / बैंक** के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि प्रार्थी **बैंक** द्वारा अप्रार्थीगण/ऋणी को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई गई थी। ऋण सुविधा प्राप्त करने के बाद अप्रार्थीगण/ऋणी बकाया राशि चुकाने में विफल रहे है। इस पर अप्रार्थीगण/ऋणी को धारा 13(2) का नोटिस दिये जाने के बावजूद भी बकाया राशि प्रार्थी **बैंक** के यहां जमा नहीं करवाई गई है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। अप्रार्थी के अधिवक्ता की बहस है कि बैंक द्वारा वर्णित तथ्य स्वीकार नहीं है। अप्रार्थी को एनपीए कानून के खिलाफ घोषित किया गया है तथा बकाया गलत निकाली है। अप्रार्थी को किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया है। नाटिस के अभाव में प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। अप्रार्थी तमाम बकाया किश्ते जमा करवाने को तैयार है व आगामी किश्ते नियमानुसार अवधि में जमा करवाता रहेगा। अतः एक माह का समय दिया जावे।

4. हमारे द्वारा उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 में इस न्यायालय को सीमित अधिकार है। ऋण राशि किश्तो मे करने अथवा छुट प्रदान करने की शक्तियां इस न्यायालय को नहीं है। अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा प्रार्थी **बैंक** के यहां से **ऋण** के रूप में उपर्युक्त ऋण सुविधा प्राप्त की थी। प्राप्त ऋण सुविधा की एवज में अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा पैरा संख्या 1 में उल्लेखित सम्पति साम्यिक बंधक रखी गई थी। अप्रार्थीगण द्वारा अपनी बकाया सम्पूर्ण राशि जमा नहीं करवाई गई है। बकाया राशि जमा करवाये जाने के संबंध में प्रार्थी **बैंक** द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण/ऋणी को नोटिस जारी किये गये। इसके पश्चात् भी अप्रार्थीगण ऋण राशि को अनुबंध के अनुसार वापिस जमा करवाने में विफल रहे है। ऐसी स्थिति में उक्त ऋण की एवज में पूर्व आदेश दिनांक 13.05.19 के पैरा नम्बर 1 में वर्णित सम्पति प्रार्थी **बैंक** के यहां बंधक है को प्रार्थी **बैंक** अपने कब्जे में लेने की अधिकारणी है। इस परिपेक्ष्य में प्रार्थी **बैंक** द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

पूर्व आदेश मु.सं. 05/19 विविध दिनांक 13.05.19 के शेष पैरा यथावत पढ़े जावे। संशोधित आदेश आज दिनांक 22.05.19 को हमारे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। यह संशोधित आदेश पूर्व आदेश दिनांक 13.05.19 का अंग रहेगा। सभी सम्बन्धित सूचित हो।

(कुमार पाल गौतम)
जिला मजिस्ट्रेट एवं
जिला कलक्टर, बीकानेर

जिला कलक्टर, बीकानेर

Scanned by CamScanner